कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद सम्भल(चन्दौसी)

पत्रांकः–पै0पम्प निरी0–सीएफओ(एसबीएल)/2019/10 दिनांकः– जनवरी 07 2020

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
जनपद– सम्भल।

विषयः–इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद द्वारा गाटा संख्या 80/81 स्थित ग्राम–सरायब्रहामण (एसएच–18) तहसील गुन्नौर, जनपद संभल पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने के हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति आख्या के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–आपका पत्रांक 719(I)/एल0बी0सी0/इ0आ0का0लिमि0/अ0प्र0पत्र/2019–20 दिनांक 23.12.2019 के अनुपालन में।

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, मुरादबाद मण्डल, मुरादबाद कार्यालय ख्वाजा फिलिंग स्टेशन के पीछे एन0एच0–24 पाकबाड़ा मुरादाबाद के संदर्भ सं0 एमडीओ/आरओ/2014/01 दिनांक 22.11.2019 के अन्तर्गत गाटा सं0 80/81 स्थित ग्राम–सरायब्रहामण (एसएच–18) तहसील गुन्नौर, जनपद संभल पर इ0आ0का0लि0 मुरादबाद द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु अग्नि सुरक्षा अनापत्ति आख्या प्रदान किये जाने हेतु मेरे द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया तो आख्या निम्नवत् है।

(अ) पहुँच मार्ग–

1. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट 8.90 मी0 चौडे एसएच–18 बदायूं–चन्दौसी मार्ग पर स्थित है। जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से आ–जा सकते हैं।
2. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थल के ऊपर से कोई विद्युतलाइन नही गुजर रही है
3. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के आस पास अन्य कोई ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण नही है।
4. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु पैट्रोलियम एक्ट–1934 तथा उसके रूल्स के अनुसार अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धि प्राविधान किये जाने अनिवार्य होंगे।

(ब) अग्निशमन व्यवस्था–

1. 45 लीटर क्षमता की 2 अदद AFFF फोम ट्राली।
2. डी0सी0पी0 स्टोर्ड प्रेशर टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 9 केजी के 06 अदद, तथा सीओटू फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 4.5 केजी 04 अदद।
3. नो स्मोकिंग बोर्ड स्थापित कराया जाये।
4. 06–06 अदद सैण्ड फायर बकेट एवं वाटर बकेट स्थापित कराये जायेंगे, तथा 100 घनफुट रेत उपलब्ध रहेगा।
5. आपातकालीन सेवाओं के नम्बरों की सूची बोर्ड जिसमें स्थानीय थाना, फायर स्टेशन गुन्नौर 9454418516–17 तथा जिला चिकित्सालय के नम्बर अंकित किये जायेंगे।

अतः प्रस्तावित रिटेल आउटलेट हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रोविजनल अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति आख्या निम्नलिखित प्राविधानो के साथ निर्गत की जाती है।

1. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट सभी निर्माण कार्य पैट्रोलपम्प एक्ट–1934 एवं सम्बन्धित पैट्रोल रूल्स विषयक समय–समय पर यथासंशोधित विधियों एवं तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित विधि के अनुरूप हो।
2. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के ऊपर किसी प्रकार हाई/लो टेंशन विद्युत लाइन नही गुजारी

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी

संजय कुमार / Sanjay Kumar
वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) Senior Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि0 (एम.डी.) Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
मुरादाबाद मण्डल कार्यालय, Moradabad Divisional Office
दिल्ली रोड, एन0 एच0 24, Delhi Road, N.H.-24

Scanned by CamScanner

जायेगी।

3. प्रश्नगत पैट्रोलपम्प परिसर में हाउस कीपिंग उच्च कोटि की होगी।
4. प्रश्नगत पैट्रोलपम्प मानचित्रों में दर्शाये गये पैट्रोल पदार्थों के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील भण्डारण नहीं किया जायेगा।
5. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट भण्डारण स्थल पर नियुक्त समस्त स्टाफ को प्राथमिक अग्निशमन यन्त्रों को चलाने की जानकारी के साथ ही अग्नि सुरक्षा नियमों की जानकारी होना आवश्यक है।
6. पैट्रोलपम्प पर किसी प्रकार के पदार्थों या स्थितियों आदि जो चिंगारी आग उत्पन्न करते हैं का प्रयोग वर्जित होगा तथा इस में समुचित उपाय रखे जायेंगे।
7. भण्डारण स्थल पर विद्युत सुरक्षा व्यवस्था इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट एवं भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0–1646:1962 तथा सम्बन्धित नियमों में निर्धारित मानकों के अनुसार करानी होगी अनिवार्य होगी।
8. उपरोक्त स्थापित समस्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में रखा जायेगा।

उपरोक्त शर्तों के आधीन प्रश्नगत रिटेल आउटलेट के निर्माण के उपरान्त उपरोक्तानुसार अग्निशमन उपकरणों को स्थापित कराये जाने की शर्त पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति आख्या इस शर्त पर निर्गत की जाती है कि प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के उपरान्त तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तभी रिटेल आउटलेट का प्रयोग सुरक्षित माना जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

अतः गाटा संख्या 80/81 स्थित ग्राम–सरायब्रहामण (एसएच–18) तहसील गुन्नौर, जनपद संभल पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, मुरादबाद मण्डल, मुरादबाद कार्यालय ख्वाजा फिलिंग स्टेशन के पीछे एन0एच0–24 पाकबाड़ा मुरादाबाद के संदर्भ सं0 एमडीओ/आरओ/2014/01 दिनांक 22.11.2019 के रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति आख्या संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है।

(प्रताप सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद– सम्भल

प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी अग्निशमन अधिकारी गुन्नौर, जनपद सम्भल को सूचनार्थ।
2. आवेदक को इस आशय के साथ समस्त अग्निशमन व्यवस्था स्थापित कर आउटलेट संचालित करने से पूर्व अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

C.S.

संजय कुमार/Sanjay Kumar
वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)/Senior Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि0 (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
मुरादाबाद मण्डल कार्यालय/Moradabad Divisional Office
कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड, एन0 एच0 24
Opp. Cold Storage Delhi Road, N.H.-24
पो0 पाकबड़ा, मुरादाबाद/244102 (उ0 प्र0)
P.O. Pakbara Moradabad - 244102 (U.P.)

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी